

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 61/2022

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. मुल्तान सिंह पुत्र विजय सिंह  
जाति राजपुरोहित निवासी  
मेघवालों का वास, चौहटन,  
बाड़मेर (मैसर्स शिव शक्ति स्वीट  
होम, केलनोर चौराहा, चौहटन,  
बाड़मेर का मैनेजर)
2. इन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह जाति  
राजपुरोहित निवासी राजपुरोहितों  
का वास, चौहटन, जिला बाड़मेर  
(मैसर्स शिव शक्ति स्वीट होम,  
केलनोर चौराहा, चौहटन, बाड़मेर  
का मालिक एवं अनुज्ञापत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.05.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप  
धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम  
2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के  
प्रतिष्ठान मैसर्स शिव शक्ति स्वीट होम, केलनोर चौराहा, चौहटन, बाड़मेर पर  
निरीक्षण दिनांक 14.03.2022 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ मिठाई  
(कलाकन्द) जो कि एक थाल में लगभग 05 किलो पड़ा था, को मिलावट का होने  
के शक पर नियमानुसार 02 किलो मिठाई (कलाकन्द) वास्ते नमूना क्रय किया  
जाकर नमूना संख्या पी-1615 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक  
अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह



व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (कलाकन्द)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **28.03.2022** में उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (कलाकन्द)** का नमूना को **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **13.06.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **13.06.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **BR of extracted fat at 40° C** जिसका मानक स्तर 40.0–43.5 के मुकाबले 43.5 पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है जो उनके द्वारा कारित अपराध की मौन जुर्म स्वीकारोक्ति है। अप्रार्थीगण जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रुपये 50,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता



खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 61/2022/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मुल्तानसिंह व अन्य

है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*hsp.*

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

